

8-2-2023

पत्रवली पेश हुई।

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित।

आवेदन पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि सरहद मौजा अमरपुरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी में कृषि भूमि खेत मुल खसरा नं. 66 रकबा नक्शानुसार एवं मौके पर कब्जानुसार रकबा 108 बीघा खतौनी अनुसार, रकबा 184. 01 बीघा वर्तमान रेकर्ड में दर्ज खसरा सं. 06/1 रकबा 6.7632 हैक्टर, 66/ 2 रकबा 23.0161 हैक्टर अवस्थित है। उपरोक्त भूमि का सेटलमेन्ट विार्थी सं. 01 के हक पूर्वधिकारी खुमानसिंह पुत्र रुघनाथसिंह जाति के खुद काश्त खातेदारी कब्जा स्वामित्व की रही, खुमानसिंह के फौत होने पर जीवराजसिंह ने अपनी जायज जरूरत हेतु तीन पंजीकृत

14
कलक्टर
00 सिणधरी

बेचाननामों के जरिये प्रार्थीगण/ प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों को सप्रतिफल 142 बीघा 5 विस्वा भूमि बेचान की, जिसका नामान्तरण प्रार्थीगण/ प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों के नाम तत्समय में पारित हुआ, इस प्रकार उक्त खरीद यानि वर्ष सन् 1973 विगत 48 वर्षों से बतौर मालिक काबिज रेकर्डेड खातेदार की हैसियत से काबिज हैं, वादग्रस्त भूमि के रकबे में प्रार्थी सं. 01, 02 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी सं. 03 व 04 का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थी सं. 05 ता 09 का 1/3 हिस्सा हैं तथा मौके पर प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना किसी रोकटोक दखल हस्तक्षेप के अनवरत रूप से काश्त करते रहते रह रहे हैं तथा इसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा का खरीद से 108 बीघा भूमि पर रहा, और इसीनुसार वक्त सेटलमेंट से भूमि खसरा सं. 66 का नक्शा लट्टा ट्रेस 108 बीघा का बना भूमि खेत खसरा सं. 66 के 108 बीघा के चारो और कदीमी वर्षों पुरानी कुदरती माठ एवं बाड़ बनी हुई है। कि वादग्रस्त भूमि मूल खसरा सं. 66 का मौके एवं नक्शा लट्टा ट्रेस का रकबा 108 बीघा रहा, किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी में लिपीकीय त्रुटि तथा भुलवंश से 108 बीघा के स्थान पर 184.01 बीघा दर्ज कर दिया गया, जो एक लिपिकिय त्रुटि एवं Slip Of Pen की भूल है, जिसे दुरस्त करना न्यायहित में आवश्यक है। साथ ही प्रार्थीगण खेतीहर कृषक एवं ग्रामीण तबके के काश्तकार हैं, मौके पर बाद खरीद से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी ने भी किसी प्रकार का कोई दखल हस्तक्षेप नहीं किया, इस कारण राजस्व रेकर्ड देखने की आवश्यकता नहीं हुई अभी हाल ही में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ने काश्तकारों के हित की योजनाएं शुरू की, जिस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड प्राप्त कर भूमिारक विार्थी संख्या 02 से सीमाज्ञान का आदेशक्रमांक राजस्व/2021/23 दिनांक 08.10.2021 प्राप्त किया जाकर मौके पर हल्का पटवारी से दिनांक 17.10.2021 को सीमाज्ञान करवाया, तो ज्ञात हुआ कि, मौके पर जो भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबंदी में 142.05 बीघा दर्ज हैं, वो भूमि मौके पर रकबे अनुसार नहीं हैं, राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबंदी में 66/1 व 66/2 अंकित किये हुए हैं, तथा 66/1 का रकबा 6.7632 हैक्टर एवं खसरा सं. 66/2 का रकबा 23.0161 हैक्टर लिखे हुए हैं । कि वक्त सेटलमेंट में मानवीय भूल की वजह से खसरा सं. 66 का रकबा 184.01 बीघा जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया, वास्तव में खसरा सं. 66 मौजा अमरपुरा का रकबा 108 बीघा ही था, तत्समय के एकल खातेदार के पास भौतिक रूप से 108 बीघा का कब्जा ही था, के स्थान पर 3 पंजीकृत बेचाननामों के जरिये कुल 142.05 बीघा भूमि प्रार्थीगण/ प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी को बेचान कर दी तथा जमाबंदी में बेचानकर्ता मूल खातेदार के खाते में 41.16 बीघा भूमि शेष भी रखना बता किया, जो मौके एवं नक्शे में मौजूद नहीं थी, मौके पर बेचान के बाद एक इंच भूमि पर भी बेचानकर्ता जीवराजसिंह या जीवराजसिंह के फौत होने के बाद विार्थी सं. 01 का कभी कब्जा नहीं रहा और न हैं, प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के नये खसरा सं. 66/2 का जमाबन्दी में 142.05 बीघा दर्ज हो गया है, जबकि राजस्व अभिलेख नक्शा लट्टा ट्रेस व मौका अनुसार मूल खसरे का ही मूल रकबा ही 108 बीघा था, यानि मूल खसरा सं. 66 के नक्शा व मौका तथा खतौन में 76 बीघा का अंतर हैं, हैं, मौके एवं नक्शे में 76 बीघा भूमि कम हैं, तथा जमाबंदी में 76 बीघा भूमि अधिक दर्ज हैं, मौके पर प्रार्थीगण का

108 बीघा भूमि पर बक खरीद से लगातार रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के कायम रहा व है, तथा मौके पर पुरानी माट, प्रार्थीगण का कब्जा काशत हैं। आज से पूर्व प्रार्थीगण के कब्जा खातेदारी में किसी व्यक्तिने कोई दखल हस्तक्षेप नहीं किया, इस कारण त्रुटि की जानकारी नहीं हुई किन्तु वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ने तथा विार्थीगण/ प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों की नीयत में फर्क जाने से विार्थी, प्रार्थी के परिवार जनों को उक्त तथ्य की पूर्ण जानकारी है, कि खसरा सं. मूल 66 के किसी भाग या अंश पर कोई कब्जा काशत सन् 1973 के बाद कभी भी नहीं रहा और न हैं, और न मौके पर खसरा सं. 66 की भूमि ही शेष हैं। फिर भी लिपिकीय त्रुटि वंश मूल खसरा की खतौनी में वास्तविक रकबे 108 बीघा के स्थान पर जमाबंदी में 184.01 बीघा में से 142.05 बीघा भूमि बेचान करने के बाद न तो एक इंच भूमि शेष थी, क्योंकि पहले से ही मौके, नक्शे से 34.05 बीघा अधिक भूमि का बेचान किया जा चुका था, फिर भी खतौनी में 41.16 बीघा भूमि का शेष रकबा होना बताया जा रहा है, जो मौके पर नहीं हैं, को अज्ञार बना कर कागजी व हवाई बेचान का उपक्रम करने लगे, जिस हेतु कुछ अजनबी व्यक्तियों को विार्थी सं. 01 व उसके परिवारजन प्रार्थीगण के कब्जा काशत की भूमि खसरा सं. मूल 66 वर्तमान 66/2 पर लेकर आये तथा मौके पर च्छर निकालने लगे, ऐसे तथ्यों की जानकारी होने पर सीमाज्ञान से पता लगा कि मूल खसरा सं. 66 के मौके व जमाबंदी के रकबे में पहले से ही त्रुटि होने से जितना रकबा प्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी ने विार्थी सं. 01 के हकपूर्वाधिकारी से खरीद किया, यानि 142 बीघा 05 विस्वा भूमि का रकबा ही पूर्ण नहीं हो रहा हैं, इस प्रकार प्रार्थीगण के खरीदसुदा 34.05 142.05 बीघा भूमि में पहले से ही 2006 बीघा रकबा कम हैं, जो भूमि का रकबा पूर्ण करने का दायित्व विार्थी सं. 01 का हैं, क्योंकि विार्थी सं. 01 के हकपूर्वाधिकारी ने सप्रतिफल जरिये पंजीकृत दस्तावेजात 142.05 बीघा का प्रतिफल लेकर भूमि प्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों को बेचान की, ऐसे तथ्यों को छिपा कर जमाबंदी में दर्ज अशुद्ध, गलत एवं अवैध प्रविष्टि को मध्यम बना कर मौके पर भूमि नहीं होते हुए भी, असामाजिक तत्वों को बेचान का उपक्रम करने लगे। इस प्रकार प्रार्थीगण पंजीकृत दस्तावेजात अनुसार 142.05 बीघा भूमि विार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी हैं, किन्तु मूल खसरा सं. 66 का मूल रकबा ही नक्शा, मौका अनुसार 108 बीघा भूमि ही हैं, ऐसी भूमि कमराराम में विार्थी या विार्थी का प्रतिनिधी प्रार्थीगण के कब्जा में कोई दखल हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं है। राजस्व विधि की यह स्पष्ट मंशा है, कि मौके पर पक्षकारान का कब्जा तथा नक्शा लटटा ट्रेस एवं जमाबंदी खतौनी में दर्ज रकबा पुर्ण समरूपता होनी चाहिये, क्योंकि दोनो ही दस्तावेज अधिकार के अहम दस्तावेजात है। किन्तु जमाबन्दी खतौनी में दर्ज अधिक रकबे के कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही हैं, तथा प्रार्थीगण के सुस्थापित कब्जा काशत में अशुद्ध प्रविष्टि के अज्ञार पर विार्थी ने दखल हस्तक्षेप का असफल प्रयास भी किया दिनांक 23.10.2021 को किया एवं अभी भी ऐसा करने हेतु तत्काल एवं आपातिक रूप से उतारू हैं, यदि विार्थी द्वारा ऐसा कर दिया जाता हैं, तो काबिज रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन मुत्र या अर्थ में करना संभव नहीं होगा, प्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित

रह जायेंगे, जबकि विधि अनुसार का उपयोग उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार घोषणा, रेकर्ड करना आवश्यक हो में दर्ज विार्थी के भूमि नहीं होते को मार प्रविष्टियों हस्तक्षेप

2001/2021

रह जायेंगे, जबकि विधि अनुसार काबिज रेकर्डेड टीनेन्ट को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं, विप्रार्थी को उसमें दखल करने का कोई अधिकार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद पत्र बाबत अधिकार घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती एवं अस्थई निषेधज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया, यदि वाद पत्र के विचारधीन रहते राजस्व रेकर्ड में दर्ज विप्रार्थी के नाम की अशुद्ध प्रविष्टियों को अघार बना कर मौके पर भूमि नहीं होते हुए भी बेचान का उपक्रम या रहन इत्यादि रख कर भूमि को मार बार चार्ज से ग्रसित किया जाता हैं, या ऐसे अशुद्ध, गलत प्रविष्टियों को अघार बना कर प्रार्थीगण के सुस्थापित कब्जा काशत में दखल हस्तक्षेप किया जाता हैं, तो वाद पत्र का अभिप्राय ही समाप्त हो जायेगा, तथा व्यर्थ की नाराम: अंतहीन मुकदमेबाजी में अभिवृद्धि होगी, जिससे काबिज खातेदार चटीनेन्ट प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन मुद्र या अर्थ में करना संभव नहीं होगा, प्रार्थीगण ने श्री न्यायालय में एक राय विचारण योग्य सशक्त मामला प्रस्तुत किया हैं, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि जहां पर पक्षकारान ने हक, हित एवं अधिकार निश्चित करने हेतु कोईकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता हैं, तो ऐसे विवाद के विचारधीन रहते किसी पक्षकार को ऐसी सम्पत्ति के भौतिक, रेकर्ड के स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता, इस प्रकार दौराने दावा अस्थई निषेधज्ञा जारी करने के सभी अघारप्रथम दृष्टिया मामला, सुक्वि का संतुलन, अपूर्णीय क्षति एवं साम्या का पवित्र सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक पक्ष में विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थी को इस आशय की अस्थई निषेधज्ञा जारी की जावे कि, मूल वाद पत्र के विचारधीन रहते सरहद मौजा अमरपुरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिण्धरी में कृषि भूमि खेत मुल खसरा सं. 66 रकबा नक्शानुसार एवं मौके पर कब्जानुसार रकबा 108 बीघा खतौनी अनुसार रकबा 184.01 बीघा वर्तमान रेकर्ड में दर्ज खसरा सं. 66/1 रकबा 6.7632 हैक्टर, 66/2 रकबा 23.0161 हैक्टर के मौके एवं रिकार्ड की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखे, विप्रार्थीसं. 01 न तो प्रार्थीगण के कब्जा काशत में दखल हस्तक्षेप करें और न राजस्व रेकर्ड में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि के अघार पर खसरा सं. 66/1 रकबा 6.7632 हैक्टर का बेचान, बक्षीस, रहन, ट्रांसफर कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण के पूर्वपुरुषों द्वारा कय शुदा का खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 66/1 मौजा अमरपुरा तहसील सिण्धरी में अवस्थित है। उक्त भूमि का सेटलमेन्ट विप्रार्थी सं. 01 के हक पूर्वाधिकारी खुमानसिंह पुत्र रुघनाथसिंह जाति राजपूत के खुद काशत खातेदारी कब्जा स्वामित्व की रही, खुमानसिंह के फौत होने पर जीवराजसिंह ने अपनी जायज जरूरत हेतु तीन पंजीकृत बेचाननामों के जरिये प्रार्थीगण/ प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों को सप्रतिफल 142 बीघा 5 विस्वा भूमि बेचान करने तथा जिसका नामान्तरण प्रार्थीगण/ प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों के नाम तत्समय में पारित हुआ, इस प्रकार उक्त खरीद यानि वर्ष सन् 1973 विगत 48 वर्षों से बतौर मालिक काबिज रेकर्डेड

खातेदार की हैसियत से काबिज हैं, वादग्रस्त भूमि के रकबा 01, 02 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी सं. 03 व 04 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी सं. 05 ता 09 का 1/3 हिस्सा हैं तथा मौके पर प्रार्थीगण कृषि भूमि पर बिना किसी रोकटोक दखल हस्तक्षेप के अनवरत काशत करते हैं तथा इसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा से 108 बीघा भूमि पर रहा, और इसीनुसार वक्त सेटलमेंट खसरा सं. 66 का नक्शा लटटा ट्रेस 108 बीघा का बना भूमि खेत खसरा सं. 66 के 108 बीघा के चारो ओर कदीमी वर्षो पुरानी कुदरती माठ एवं बाड़ बनी हुई है। कि वादग्रस्त भूमि मूल खसरा सं. 66 का मौके एवं नक्शा लटटा ट्रेस का रकबा 108 बीघा रहा, किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी में लिपीकीय त्रुटि तथा भुलवंश से 108 बीघा के स्थान पर 184.01 बीघा दर्ज कर दिया गया, जो एक लिपिकिय त्रुटि एवं Slip Of Pen की भूल है, जिसे दुरस्त किये जाने का प्रशन है, का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई अनुसार निर्णित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के वकील द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का और आगे से आगे बेचान या हस्तांतरण के जरिये प्रार्थीगण के कब्जे काशत की भूमि इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद तक विप्रार्थी सं. 1 को जरियें अस्थाई स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि मौजा अमरपुरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिण्धरी के मूल खसरा संख्या 66 रकबा 184.01 बीघा से विभक्त होकर कायम हुए खसरा संख्या 66/1 रकबा 6.7632 हेक्टेयर व खसरा संख्या 66/2 रकबा 23.0161 हैक्टेयर की भूमि के संबंध में विप्रार्थी सं. 1, प्रार्थीगण के कब्जे काशत में की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल क्तर एवं नम्बर से कम हो।

Manoj Kumar
1 registered by
राजस्व